अनुसूची-१४ -फारम सं० ५६२

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

भू0अतिक्रमण अपील सं0- 01/2014

राजगृह राय

बनाम

सरकार मार्फत अंचल अधिकारी,मशरक एवं रामपृत राय

आदेश का क्रम-संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख-सहित
24.09.2015	यह अपील वाद राजगृह राय, पिता-स्व0 सत्य नारायण राय, सा0-हंसापीर, थाना-मशरक, जिला-सारण के द्वारा अंचल अधिकारी,मशरक के द्वारा अतिक्रमण वाद संख्या 01/12-13 में पारित आदेश दिनांक 15.04.2013 के विरूद्ध दाखिल किया गया है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा के पत्रांक 1462, दिनांक 08.05.2012 एवं पत्रांक 3081, दिनांक 22.09.2012 के द्वारा आवेदक रामपृत राय, पिता विशुन देव राय, साकिन हंसापीर, थाना मशरक , जिला सारण के द्वारा अतिक्रमण हटाने से संबंधित दिए गए आवेदन के प्रसंग में जांच करने एवं आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। आवेदक रामपृत राय के द्वारा मौजा हंसापीर, थाना संख्या 75, खाता संख्या 96, खेसरा संख्या 165,166.167 की मापी सरकारी अमीन से कराकर पत्थर गड़वाने के बाद राजगृह राय के द्वारा अतिक्रमण करने संबंधी शिकायत दर्ज है। अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा के द्वारा प्रेषित उक्त पत्र के आलोक में अंचल अधिकारी मशरक के द्वारा संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक को जांच कर प्रतिवेदन प्रेषित करने का आदेश दिया गया। संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि मौजा हंसापीर, थाना संख्या 75, खाता संख्या 96, खेसरा संख्या 165,166,167 आवेदक रामपृत राय की निजी जमीन है। इनके धर के सामने सड़क संख्या 660 है। अंचल अमीन के द्वारा नापी करके पत्थर गारा गया है। राजगृह राय के द्वारा बीचो-बीच दीवाल धेर दिया गया है जो रास्ता को भी अवरूद्ध करता है। उक्त प्रतिवेदन के आलोक में राजगृह राय को अतिक्रमण हटाने हेतु नोटिस दिया गया, लेकिन उनके द्वारा एक आवेदन देकर सूचित किया गया कि उनके द्वारा सड़क की जमीन में दीवाल नहीं खड़ा नहीं किया गया	

है, बल्कि अपनी निजी जमीन में इसे बनाया गया है।

राजगृह राय के उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अमीन को तिथि निर्धारित कर मापी करने का आदेश दिया गया। दिनांक 15.04.2013 को संबंधित पक्षों की उपस्थिति में विहित प्रक्रिया के तहत मापी करके प्रतिवेदित किया गया कि मौजा हंसापीर, थाना संख्या 75 के अंतर्गत सड़क खेसरा संख्या 660 की नापी की गयी। खेसरा संख्या 166 के उतरी आल एवं सड़क खेसरा संख्या 660 के दक्षिण आल पर एक पत्थर गाड़ा गया है। उसे चन्द मुस्तकील कायम कर जांच किया गया, जो सही था। उसके आधार पर राजगृह राय, पिता स्व0 सत्यनारायण राय, साकिन हंसापीर, थाना मशरक के द्वारा सड़क खेसरा में दीवाल एवं मिट्टी भर कर एक दलान बनाए हुए है। अतिक्रमणकर्त्ता राजगृह राय के द्वारा खेसरा संख्या 660, रकबा 165x9=1485 वर्ग कड़ी में 18 कड़ी लम्बी ईट की दीवाल जोड़ी गयी है, एवं दलान 44 कड़ी लंबाई में पूरब में 05 तथा पश्चिम में सड़क में बनाए हुए है।

अंचल अमीन के उक्त प्रतिवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, मशरक के द्वारा अपने आदेश दिनांक 15.04.2013 के द्वारा अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील वाद लाया गया है।

अपीलार्थी दिनांक 24.09.2015 को अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। अपीलार्थी के द्वारा सर्वे जानकार अधिवक्ता-आयुक्त की नियुक्ति कर नए सिरे से मापी करवाने हेतु एक आवेदन दाखिल किया गया। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि अंचल कार्यालय,मशरक के प्रश्नगत अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन से स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें दो मापी का उल्लेख है। एक मापी दिनांक 24.06.2004 को की गई, एवं दूसरी मापी वर्ष 2013 में की गई। पहली मापी सीमांकन वाद संख्या 17/2003-2004 के प्रसंग में की गई थी। दोनो मापी में अंचल अमीन का प्रतिवेदन एक-दूसरे के विपरीत है, जो अपने आप में जांच का विषय है। अतः पुनः एक सर्वे जानकार अधिवक्ता-आयुक्त के द्वारा मापी की आवश्यकता प्रतीत होती है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा आगे बताया गया कि अंचल अमीन के द्वारा जिस दीवाल का उल्लेख अपने प्रतिवेदन में किया गया है, वह अपीलार्थी की रैयती भूमि में स्थित है, न कि सरकारी सड़क की भूमि में। अतः अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी, मशरक के प्रश्नगत आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि प्रश्नगत जमीन में राजगृह राय एवं उनके परिवार के लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। सरकारी जमीन एवं रास्ता पर उनके द्वारा 8 फीट ऊँची दीवाल बनायी गयी है। अंचल अमीन के द्वारा मापी में अतिक्रमण पाया गया है। इसे हटवाने का आदेश देने का अनुरोध किया गया।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता, सारण,छपरा के द्वारा बताया गया कि

अंचल अधिकारी,मशरक के द्वारा अपीलार्थी की उपस्थिति में अंचल अमीन से मापी करवाई गई है। पुनः मापी कराने हेतु दिए गए आवेदन के आलोक में कार्रवाई करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। मापी में राजगृह राय के द्वारा अतिक्रमण की बात सही पायी गयी है। अतः इनका अपील आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त, मैं यह पाता हूँ कि प्रश्नगत भूमि (मौजा हंसापीर, थाना संख्या 75, खाता संख्या 96, खेसरा संख्या 165.166.167 एवं खेसरा संख्या 660 में स्थित सड़क) की मापी अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा के द्वारा प्रेषित परिवाद पत्र के आलोक में अंचल अधिकारी,मशरक के द्वारा अपीलार्थी की उपस्थिति में अंचल अमीन से कराई गई है। अंचल अमीन के द्वारा की गई मापी में अपीलकर्त्ता राजगृह राय, पिता स्व0 सत्यनारायण राय, साकिन हंसापीर, थाना मशरक, जिला सारण के द्वारा अतिक्रमण पाया गया हैं। ऐसी परिस्थिति में, अपीलकर्त्ता के द्वारा पुनः नापी हेतु दिया गया आवेदन इस वाद में टाल-मटोल करने का एक प्रयास प्रतीत होता है। जॅहा तक उक्त वाद में पूर्व में कराये गए दो मापी (वर्ष 2004 में एवं वर्ष 2013 में) का प्रश्न है, वे दोनों अलग-अलग मामले है। पूर्व मामला अपीलकर्ता की निजी जमीन के सीमांकन से संबंधित है, जबकि दूसरी मापी खेसरा सं0 660 मे स्थित सड़क के अतिक्रमण से संबंधित है। **अतः अंचल अधिकारी,मशरक के प्रश्नगत आदेश दिनांक 15.04.2013 को बरकरार रखते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।**

अंचल अधिकारी, मशरक को निर्देश है कि वे **प्रश्नगत भूमि से अतिक्रमण हटाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करते हुए पन्द्रह दिनों के अंदर अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।**

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक....51 मु0/15..../न्या0, दिनांक....24.9.15..../

प्रतिलिपिः- अंचल अधिकारी,मशरक को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी,एन0ई0सी0,सारण,छपरा को उक्त आदेश इस जिले वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण,छपरा।

24/9/15